The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 5 | May 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

अनु 370 के उत्पति की ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितयां - एक अध्ययन

अतुल प्रताप पाण्डेय

शोध छात्र (राजनीति विज्ञान), महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ०प्र०)

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 24-05-2025

Published: 10-06-2025

Keywords:

अनुच्छेद 370, जम्मू-कश्मीर, विलय-पत्र, स्वायत्तता, अस्थायी प्रावधान, निष्प्रभाविकता।

ABSTRACT

अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था, जिसकी उत्पति कुछ विशेष ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुयी। इस अनुच्छेद के कारण जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों की तुलना में कुछ विशिष्ट अधिकार तथा स्वायत्तता प्राप्त थी, जो भारतीय संघ के उत्कृष्टता में एक बाधक के रूप में प्रकट हो रहा था। यद्यपि जब अनुच्छेद 370 की मांग शेख अब्दुल्ला के द्वारा की गयी तो इस मांग को स्वीकार्यता देते समय जवाहरलाल नेहरू की सोच थी कि यह बहुत ही शीघ्र निष्प्रभावी हो जायेगा तथापि यह प्रावधान सात दशकों तक प्रभावी रहा। अन्ततः 05 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने एक दृढ़ निर्णय लेते हुए इस अनुछेद को निष्प्रभावी कर दिया और एक नये संवैधानिक आयाम का प्रारम्भ किया।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.15642713

15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतन्त्र हुआ, परन्तु देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश को विभाजन का दंश भी प्राप्त हुआ। देश के विभाजन की यह योजना माउन्टबेटन योजना के तहत् किया गया था, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी देशी रियासत अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में विलय कर सकता है एवं यदि किसी देशी रियासत की इच्छा इन दोनों ही राज्यों में विलय की नहीं है तो वह स्वयं को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर सकता है। इसी योजना के तहत् जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरिसिंह ने स्वयं को स्वतन्त्र राष्ट्र घोषित कर दिया। परन्तु इन्ही परिस्थितियों के मध्य और जम्मू-कश्मीर की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बलपूर्वक जम्मू-कश्मीर को अपने क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया। इस हेतु पाकिस्तान ने कबाइलियों को तैयार किया एवं यह रणनीति बनायी कि पाकिस्तानी सैनिकों के सहयोग से ये कबाइली जम्मू-कश्मीर राज्य पर आक्रमण में अग्रणी भूमिका निभायेंगे। अन्ततः 20 अक्टूबर 1947 को इन कबाइलियों

ने जम्मू-कश्मीर राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराजा हरिसिंह के सेनापति राजेन्द्र सिंह ने इस आक्रमण को निष्फल करने का अत्यधिक प्रयास किया परन्तु वे सफल नहीं हुए और इस युद्ध में बलिदान हो गये। महाराजा हरिसिंह समझ चुके थे कि स्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल हो चुकी है और आगे और भी ज्यादा भयानक हो सकती है। इन्हीं विकट परिस्थितियों में महाराजा हरिसिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। अगली सुबह 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सैनिकों ने मोर्चा सम्भाल लिया और जम्मू-कश्मीर को इन आक्रामक कबाइलियों और पाकिस्तानी सैनिकों से मुक्त कराने के कार्य में संलग्न हो गये। महाराजा हरिसिंह ने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ शेख अब्दुल्ला को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए आमन्त्रित भी किया। वस्तुतः शेख अब्दुल्ला तात्कालिक समय में जम्मू-कश्मीर के लोकप्रिय नेता होने के साथ-साथ लोकतान्त्रिक मूल्यों के पोषक तथा जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के प्रबल समर्थक थे और इस हेतु अपने विचारों को जनसमर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से नेशनल कान्फ्रेंस नामक पार्टी का गठन किया था।वस्तुतः 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय-पत्र को पाकिस्तान किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर रहा था और जम्मू-कश्मीर में अशान्ति और युद्ध को जारी रखा। भारत-पाकिस्तान विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से 01 नवम्बर 1947 को लार्ड माउन्टबेटन लाहौर गये तथा वहां पर उन्होंने जिन्ना से मुलाकात की। इस मुलाकात में माउन्टबेटन ने कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद में उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु एक सलाह दिया, जिसके अनुसार - जिन राज्यों में बहुसंख्यक जनता और शासक के धर्म अलग-अलग हों और शासक ने उस अधिराज्य में विलय का फैसला लिया है, जहां की बहुसंख्या का धर्म उस राज्य की बहुसंख्या के धर्म से अलग हो, ऐसे राज्यों में विलय का फैसला जनमत संग्रह कराया जायेगा।[1] परन्तु इस सलाह पर जिन्ना किसी भी स्थिति में तैयार नहीं थे, जिन्ना की सोच थी कि जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला और भारतीय सेना की जब तक उपस्थिति रहेगी, तब तक इस क्षेत्र की जनता निडर होकर मतदान नहीं कर सकती है। इसीलिए जिन्ना ने शर्त रखा कि जनमत संग्रह, माउन्टबेटन तथा उसके स्वयं के देखरेख में हो। किन्तु इस कार्य के लिए माउन्टबेटन ने अपनी प्रशासनिक एवं संवैधानिक स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में जनमत संग्रह कराने का प्रस्ताव दिया लेकिन जिन्ना इसके लिए तैयार नहीं हुए।[2]

इसी क्रम में 02 नवम्बर 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण में इस बात का सन्देश दिया कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर में स्थितियां सामान्य होगी, तत्काल इस क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया जायेगा एवं जम्मू कश्मीर के भविष्य का फैसला इसी जनमत संग्रह के आधार पर किया जायेगा। जवाहर लाल नेहरू को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर में स्थितियां जल्द ही सामान्य हो जायेगी परन्तु उनकी आशाओं के विपरीत इस क्षेत्र की स्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल होती गयी। नेहरू जी एक आदर्शवादी नेता थे, जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर अत्यधिक विश्वास था। जम्मू-कश्मीर में शान्ति निर्माण के उपायों की खोज में ही जवाहर लाल नेहरू जी ने 31 दिसम्बर 1947 को संयुक्त राष्ट्र

संघ में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अध्याय-6 के तहत इस मामले को प्रेषित किया। इस अध्याय के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रेषित दो देशों के विवादों का निपटान शान्तिपूर्ण ढंग से किये जाने के प्रावधानों का उल्लेख मिलता है परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसे निर्णयों को मानना भी दोनो ही देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में मामला प्रेषित होने के साथ ही भारत ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए जनमत संग्रह की वचनबद्धता को पुनः दुहराया और यह भी कहा कि इस जनमत संग्रह को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की निगरानी में पूर्ण निष्पक्षता के साथ कराया जायेगा लेकिन ऐसा तभी हो सकता है, जब इस क्षेत्र को हमलावरों से पूर्णरुपेण खाली करा लिया जाएगा।[3] इसी क्रम में 21 अप्रैल 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प में आया, जिसमें युद्ध विराम समझौता एवं संघर्ष की समाप्ति का उल्लेख किया गया। अन्ततः 31.12.1948 को संघर्ष विराम हुआ और 01.01.1949 से युद्ध स्थगित हो गया और इस स्थगन के दिन भारत और पाकिस्तान जिस भी स्थान पर थेे उसे ही लाइन ऑफ कन्ट्रोल (एल०ओ०सी) कहा गया। वस्तुतः इस युद्ध विराम के साथ ही जम्मू-कश्मीर व्यावहारिक रूप से दो हिस्सों में बंट चुका था- भारतीय प्राधिकार वाली कश्मीर घाटी, लेह और जम्मू. तथा पाकिस्तान प्राधिकार में आजाद कश्मीर तथा गिलगिट और बाल्टिस्तान।[4]

जम्मू-कश्मीर की स्थितियों की समीक्षा हेतु 15 और 16 मई 1949 को एक बैठक दिल्ली में हुआ। यह बैठक शेख अब्दुल्ला, सरदार बल्लभभाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ और इसी बैठक के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के 04 व्यक्तियों को संविधान सभा में शामिल करने का निर्णय लिया गया। 20 जून 1949 को महाराजा हरिसिंह ने अपने पुत्र कर्णसिंह को राजप्रमुख नियुक्त किया और स्वयं सत्ता से हटने की घोषणा की। शेख अब्दुल्ला की सिफारिश पर कर्ण सिंह ने संविधान सभा में 04 प्रतिनिधि नियुक्त किये। ये 04 प्रतिनिधि-शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल वेग, मौलाना मोहम्मद सईद, मसूदी तथा मोतीराम बागड़ा थे।

वस्तुतः भारत संघ में शामिल सभी देशी रियासतों के विलय-पत्र की भाषा लगभग एक ही समान थी, जिसमें सिर्फ रक्षा, विदेशी सम्बन्ध तथा संचार के विलय का उल्लेख था, किन्तु कालान्तर में इन्होंने भारतीय संविधान को पूर्णतः अंगीकृत कर लिया। किन्तु कर्णसिंह ने उद्घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान सिर्फ उन विषयों में लागू होगा जो विलय पत्र के परिशिष्ट में निर्दिष्ट किये गए है।[5] वास्तव में शेख अब्दुल्ला का पूर्ण प्रयास इस बात पर था कि महाराजा हरिसिंह द्वारा विलय पत्र में सौपे गये तीन विषय-रक्षा, विदेशी मामलें तथा संचार, को छोड़कर अन्य विषयों का भारत एवं जम्मू-कश्मीर के अर्न्तसम्बन्धों हेतु भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान होने चाहिए और अपने इस प्रयास को प्राप्त करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का प्रावधान करने वाले प्रारूप का निर्माण शेख अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कान्फ्रेन्स द्वारा तैयार किया गया। शेख अब्दुल्ला का विचार था कि जम्मू- कश्मीर को अन्य देशी रियासत वाले राज्यों की तरह व्यवहार न किया जाये क्योकि जम्मू-कश्मीर की एक अलग भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विशिष्टता

व पहचान है। अतः जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष प्रावधान की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। इस हेतु भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रारम्भ में इस आशंका में थे कि यदि जम्मू-कश्मीर की तात्कालिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं की जाती तो जम्मू कश्मीर की सरकार तथा जनता का भारत पर पूर्ण विश्वास नहीं हो पायेगा। परन्तु इन सबके मध्य पं० जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान की महत्ता एवं आदर्श तथा राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता को भी अक्षुण्य रखना चाहते थे। अन्ततः इन दुविधाओं के मध्य 18 मई 1949 को शेख अब्दुल्ला को जवाहर लाल नेहरू ने एक पत्र प्रेषित किया जिसने उल्लिखित था कि जम्मू कश्मीर विदेशी मामलों, सुरक्षा तथा संचार के क्षेत्र में भारत के साथ जुड़ गया है। अन्य मामलों में जम्मू कश्मीर राज्य की संविधान सभा, जब बुलाई जायेगी, तब तय करेगी कि किन मामलों में राज्य भारत से जुड़ सकता है।[6] इसी क्रम में जवाहर लाल नेहरू जी ने गोपालस्वामी आयंगर को बिना किसी विभाग के मंत्री बनाया तथा जम्मू-कश्मीर सम्बन्धी मामलों का प्रभारी बनाया।

इस हेतु गोपालस्वामी आयंगर ने शेख अब्दुल्ला तथा पं० जवाहरलाल नेहरू के बीच मध्यस्थ की भूमिका बनायी और भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर के विशिष्ट प्रावधान के विषय में उन तथ्यों की खोज करने का प्रयास किया जिससे कि दोनों ही पक्षों को संतुष्ट किया जा सके। जम्मू-कश्मीर के विशिष्ट प्रावधान का भारतीय संविधान में उल्लेख किये जाने के डा० भीमराव अम्बेडकर विरोधी थे। अतः उन्होने भारतीय संविधान के प्रारूप की रुपरेखा में इस विषय के निर्माण से असहमति जाहिर की। अन्ततः जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था बनाने वाले प्रावधान के प्रारूप निर्माण की जिम्मेदारी आयंगर को सौंपी गयी। गोपालस्वामी आयंगर को ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक पदों को सम्भालने का एक लम्बा अनुभव था और वे 1937 से 1943 तक जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रहे थे। अतः गोपालस्वामी आयंगर न केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए दक्ष व्यक्ति थे वरन् जम्मू-कश्मीर मामलों का व्यावहारिक अनुभव भी रखते थे। इसी कारण पं० जवाहरलाल नेहरू को उनकी योग्यता, दक्षता तथा अनुभव पर पूर्ण विश्वास था। अन्ततः शेख अब्दुल्ला से प्राप्त प्रारूप में आंशिक संशोधन करते हुए गोपालस्वामी आयंगर ने 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा के पटल पर जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष व्यवस्था का उल्लेख करने वाले अनुच्छेद 306 (अ) को रखा जो कि कालान्तर में अनुच्छेद 370 का रूप धारण कर लेता है। जब आयंगर जी ने अनुच्छेद 306 (अ) का प्रारूप संविधान सभा के पटल पर रखा तो प्रश्न पूछने की श्रृंखला में प्रथम प्रश्न मौलाना हसरत मोहानी का था। इसके अलावा सरदार बल्लभभाई पटेल तथा अनेक संविधान सभा के सदस्य, अनुच्छेद 370 को लेकर सशंकित थे परन्तु गोपालास्वामी आयंगर अपने विस्तृत भाषण द्वारा यह समझाने में सफल रहे कि अनुच्छेद 306 (अ) (अन्ततः अनुच्छेद 370) की आवश्यकता क्यों और किन परिस्थितियो के अधीन है? आयंगर ने अपने भाषण में बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी भी सामान्य नहीं है। जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, बाकी सभी राज्यों के संविधानों को, सम्पूर्ण भारत के संविधान में समाविष्ट कर लिया गया है। किन्तु कश्मीर के विशेष हालातों की वजह से विभेदन है। यह विशेष राज्य इस तरह के एकीकरण के लिए अभी भी परिपक्व नहीं है।[7] इसके अतिरिक्त आयंगर

द्वारा प्रस्तुत किये गये उत्तर में दो बातों का प्रमुख रूप से उल्लेख प्राप्त होता है- पहला तो अनुकूल परिस्थितियां होने पर जनमत संग्रह द्वारा कश्मीर राज्य में भारत संघ के साथ सम्बन्धों को स्पष्ट करने का वचन एवं दूसरा यह कि अनुच्छेद 370 का भविष्य राज्य की संविधान सभा तय करेगी।[8]

यदि हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 पर दृष्टिपात करें तो हमें निम्न बातों की विवेचना प्राप्त होती है। अनुच्छेद 370 के 4 उपखण्ड है-

(1) प्रथम उपखण्ड में 04 भागों का उल्लेख मिलता है, जिसका अभिप्राय निम्न है-

(क) अनु 238 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा। वस्तुतः भारतीय संविधान के द्वारा 4 प्रकार के राज्यों का बंटवारा किया गया था जिसमें से अनुच्छेद 238 भाग-7 में 'ब' प्रकार के राज्यों को चिन्हित करता है, जिसमें राज प्रमुखों द्वारा शासित देशी रियासतों का उल्लेख मिलता है। जम्मू कश्मीर भी इसी भाग में शामिल किया गया, किन्तु इस भाग के प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होगे ।

(ख) भाग-ख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संसद के पास जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में कितनी शक्तियाँ प्राप्त रहेगी? इस हेतु निम्न बातों का उल्लेख मिलता है-

(i) संघ सूची और समवर्ती सूची के वे विषय, जिनका सम्बन्ध विलय-पत्र में घोषित विषयों (रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध एवं संचार) से है, के सम्बन्ध में विधि बनाने के लिए राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार से परामर्श करेंगे ।

(ii) अन्य विषयों को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी।

(ग) भारतीय संविधान के केवल दो ही अनुच्छेद (अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 370) जम्मू-कश्मीर राज्य में लागू होगे।

(घ) इसके अतिरिक्त किसी अन्य उपबन्ध की व्यवस्था राष्ट्रपति के आदेश से लागू हो सकती है, परन्तु रक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध तथा संचार के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार से परामर्श लेना होगा तथा अन्य विषयों से सम्बन्धित मामलों में राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी।

(2) द्वितीय खण्ड इस बात का उल्लेख करता है कि यदि जम्मू-कश्मीर की सरकार ने किसी मामले में भारत-सरकार को सहमति प्रदान की है तो उस पर अन्तिम रूप से स्वीकार्यता जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा देगी।

(3) तृतीय खण्ड उल्लिखित करता है कि राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकते है कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पूर्व उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के भाग-21 में शामिल किया गया, जो कि अस्थायी, संक्रमणशील तथा विशेष उपबन्धों की व्यवस्था करता है। इसी कारण लोगों की सामान्य धारणा यही बनी कि उक्त अनुच्छेद सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए बनाया गया है और समय के साथ ही यह स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा।[9] 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही अनु 370 लागू कर दिया गया। इसी क्रम में 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की स्थापना हुयी। 17 नवम्बर 1956 को जम्मू-कश्मीर का संविधान अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1957 को यह लागू कर दिया गया और इसी के साथ अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की सिफारिश किये बिना ही यह संविधान सभा भंग हो गयी। इसके पश्चात् अनुच्छेद 370 से सम्बन्धित अनेक विवाद, सन्देह और समस्याएं भी आती रही। वस्तुतः अनु 370 (3) के अनुसार अनु 370 की निष्प्रभाविकता के लिए संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक थी। अतः अनेक संविधानविज्ञों ने भी यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि अब इसके निष्प्रभाविकता का कार्य अत्यधिक दुरूह है। किन्तु 05 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की विधानसभा को संविधान सभा मानते हुए अनु 370 को निष्प्रभावी कर दिया। चूंकि तात्कालिक समय में जम्मू-कश्मीर राज्य ने अनु 356 के तहत् राष्ट्रपति शासन लागू था जिसके तहत् विधानसभा की शक्तियां संसद में निहित हो जाती है। अतः संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस कार्य के लिए संसद की सहमति प्राप्त की गयी थी।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि अनुच्छेद 370 न तो पूर्वनियोजित था और न ही पूर्वानुमानित, लेकिन राजनैतिक व ऐतिहासिक समयचक्र यथा-महाराजा हरिसिंह द्वारा ससमय विलय न करना, शासक की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए कबायली हमला और युद्ध, कालान्तर में शेख अब्दुल्ला का स्वायत्तता प्राप्त करने की प्रबल मांग, भारत का अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर आदर्शवाद को प्रश्रय आदि ऐसे कारण थेे जो कि अनुच्छेद 370 के निर्माण की रुपरेखा बनाते चले गये और इस हेतु किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि यह अनुच्छेद इतने लम्बे समय तक प्रभावी रहेगा। वर्तमान में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो चुका है और एक नये जम्मू-कश्मीर का उदय होता दिख रहा है जिसमें न केवल नवीन राष्ट्रीय चेतना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास प्रतिबिम्बित हो रहा है वरन् जम्मू-कश्मीर के चहुंमुखी विकास का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ:-

1. पृष्ठ 72, वार एण्ड डिप्लोमेसी इन कश्मीर (1947-48), सी० दासगुप्ता,सेज पब्लिकेशन, दिल्ली-2014

2. पृष्ठ 270, मिशन विद माउन्टबेटन, एलन कैम्पवेल जॉनसन, जैको पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली- 1951

3. पृष्ठ 17, कश्मीर आफ्टर इंसरजेंसी, बलराज पुरी, ओरियेंट लॉन्गमैन प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा संस्करण दिल्ली- 2008

4. पृष्ठ 116-17, कश्मीर: बिहाइंड द वेल, एम॰जे॰ अकबर, रोली बुक्स, छठा संस्करण, दिल्ली-2011

5. पृष्ठ 40-42, स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, खुर्शीद अहमद भट्ट, एडूक्रियेशन पब्लिशिंग, दिल्ली - 2015

6. पृष्ठ 51, आर्टिकल 370, ए०जी० नुरानी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेपरबैक संस्करण, दिल्ली- 2014

7. पृष्ठ 66-67, आर्टिकल 370, ए०जी० नुरानी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पेपरबैक संस्करण, दिल्ली 2014

8. पृष्ठ 47-49, स्पेशल स्टेट्स ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, खुर्शीद अहमद भट्ट, एड्रक्रियेशन पब्लिशिंग दिल्ली- 2015

9. पृष्ठ 323, कश्मीरनामा, अशोक कुमार पाण्डेय, राजपाल एण्ड सन्स, आठवां संस्करण, दिल्ली-2024